

भारत का राजपत्र The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

बं. 8] नई दिल्ली, शनिवार, फरवरी 20, 1993/फाल्गुन 1, 1914
No. 8] NEW DELHI, SATURDAY, FEBRUARY 20, 1993/PHALGUNA 1, 1914

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a
separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (1)
PART II—Section 3—Sub-section (1)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय अधिकारियों (संघ राज्य
क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा विधि के अन्तर्गत बनाए और जारी किये गये साधारण सार्वभौमिक
निर्देश (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उपनियम आदि सम्मिलित हैं)

General Statutory Rules (including Orders, Bye-laws etc. of a general
Character) issued by the Ministries of the Government of India (other
than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities
(other than the Administration of Union Territories)

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय

विशेष न्यायालय/सत्र न्यायालय

(विधि कार्य विभाग)

विशेष लोक अभियोजक

(न्यायिक अनुभाग)

1. श्री ए. आर. गुप्ते
2. श्री ए. वी. बेलगाल
3. श्री सी. पी. जार्ज
4. श्री ए. सी. बेलकर
5. श्री सुरेश धोलकर

नई दिल्ली, 11 जनवरी, 1993

अतिरिक्त लोक अभियोजक

1. श्रीमती टी. डी. कतदारे
2. श्रीमती श्रीमती नक्वी

शर्तें:

1. यह नियुक्तियाँ 3 वर्ष की अवधि के लिए होंगी।
2. इन नियुक्त व्यक्तियों को कोई प्रतिघरण (रेटर्नर) मासिक पारिश्रमिक नहीं दिया जायेगा।
3. नियुक्त व्यक्ति नौचे दी गई वर से भुक्त प्राप्त करने के पात्र होंगे।

(क) परिवार प्रालम्बन रु. 300/- प्रति मूकदमा

भा. का. वि. 94--दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 24
उपधारा (2) और (8) जिसे दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 25
साथ पढ़ा जाए और स्वायत्त औपधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधि-
नियम, 1985 की धारा 36G द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए,
केन्द्र सरकार एवंद्वारा तत्काल प्रभावी तारीख से निम्नलिखित अधि-
वक्तियों को जिता कि नीचे दर्शाया गया है, बम्बई में स्थित सत्र न्यायालयों/
विशेष न्यायालयों में केन्द्र सरकार द्वारा या उनके विषय प्रथवा केन्द्र
सरकार के किसी अधिकारी अथवा केन्द्र सरकार के किसी विभाग द्वारा
या उनके विषय स्वायत्त औपधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम,
1985 तथा संघा शूलक अधिनियम, 1962 के अधीन उद्भूत होने
वाले मुकदमों सहित सभी अपराधिक मुकदमों का संचालन करने के लिए
विशेष लोक अभियोजक और अतिरिक्त लोक अभियोजक नियुक्त
हैं।

370 GI 93-1

321

Attested
विशेष न्यायाधी
जिज कल्याण, न्याय विभाग,
विधि कार्य, दिल्ली-54
21/1/12

श्रम मंत्रालय

MINISTRY OF LABOUR

नई दिल्ली, 2 फरवरी, 1993

New Delhi, the 2nd February, 1993

सा. का.नि. 112.—कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 7 की उप-धारा (1) के साथ पठित धारा-5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1952 में और संशोधन करने के लिये निम्नलिखित योजना बनाती है, अर्थात्:—

1. इस योजना को कर्मचारी भविष्य निधि (दूसरा संशोधन) योजना, 1993 कहा जाएगा।
2. कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1952 में, मद (अठ्ठानवे) के बाद पैराग्राफ 1 के उप-पैराग्राफ (3) के खंड (ख) में निम्नलिखित मदें शामिल की जाएंगी:—

“लौह-अयस्क पेलेट्स उद्योग के संबंध में (नित्यानवें) जैसा कि भारत के राजपत्र के भाग-II, खंड 3, उपखंड (ii) में 16 सितम्बर, 1989 को प्रकाशित भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की दिनांक 30 अगस्त, 1989 की अधिसूचना संख्या का.आ. 2276 में निर्दिष्ट किया गया है”,

“गुआर गोंद कारखानों, संगमरमर की खानों तथा हीराभारा मिलों में कार्यरत स्थापनाओं के संबंध में (सौ) जैसा कि भारत के राजपत्र के भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में 11/04/1992 को प्रकाशित, भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 170, दिनांक 25 मार्च, 1992 में निर्दिष्ट किया गया है”।

[संख्या एस-35011/7/90-एस.एस.-II]

जे. पी. शुक्ला, अवर सचिव

G.S.R. 112.—In exercise of the powers conferred by Section 5 read with sub-section (1) of Section 7 of the Employees' Provident Funds and M.P. Act, 1952 (19 of 1952), the Central Government hereby makes the following Scheme further to amend the EPF Scheme, 1952, namely:—

1. This Scheme may be called the EPF (Second Amendment) Scheme, 1993.


2. In the EPF Scheme, 1952, in clause (b) of Sub-paragraph (3) of Paragraph 1 after item (XCIV) the following items shall be inserted:—

“(XCIX) as respects the Iron ore pellets Industry as specified in the notification of the Government of India in the Ministry of Labour No. S.O. 2276 dated 30th August, 1989 published in Part II Section 3, Sub-section (ii) of the Gazette of India dated 16th September, 1989;

“(XCX) as respects the establishments engaged in Guar Gum Factories, Marble Mines, and Diamond Saw Mills specified in the notification of the Government of India, in the Ministry of Labour No. GSR 170 dated the 25th March, 1992 published in Part II Section 3, Sub-section (ii) of the Gazette of India dated 11-04-1992.

[No. S-35011/7/90-SS-II]

J. P. SHUKLA, Under Secy.

Attested

 जे. पी. शुक्ला, अवर सचिव,
 श्रम मंत्रालय, दिल्ली-54
 21/11/92